निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 185/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. प्रभू दयाल शर्मा पुत्र प्रताप उर्फ प्रतापनारायण शर्मा जाति ब्रागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्री किशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. गोपाल लाल

1/2. कन्हैयालाल पुत्रान स्व॰ प्रभू दयाल

1/3. बाबूलाल

1/4. श्रीमती जम्मुरी देवी उर्फ जानकी देवी बेवा प्रभूदयाल

1/5. सुश्री पार्वती देवी पुत्री स्व॰ श्री प्रभू दयाल

1/6 सुश्री दुर्गा देवी

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा; तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रताप उर्फ प्रताप नारायण शर्मा पुत्र रामदेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. श्रीमती लछमा देवी धर्म पत्नी प्रताप उर्फ प्रताप नारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (कायम मुकाम नहीं बनाने की छूट दी गई) (मृतक दौराने दावा)

2. रेखा उर्फ रामेश्वर प्रताप उर्फ प्रतापनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्री किशनुपरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

2/1.नाथू लाल शर्मा

2/2.शिव शंकर शर्मा

2/3.कानाराम शर्मा उर्फ कन्हैयालाल

2/4.हरि मोहन शर्मा उर्फ लालाराम शर्मा

पुत्रान स्व॰ श्री रेखा उर्फ रामेश्वर

2/5.भौरी देवी पत्नी श्री भोलू राम बागडा पुत्री रेखा उर्फ रामेश्वर

2/6.प्रेम देवी पत्नी श्री कैलाश शर्मा (बागडा) पुत्री रेखा उर्फ रामेश्वर

2/7.लालीदेवी पत्नी श्री पप्पू लाल बागडा पुत्री रेखा उर्फ रामेश्वर

2/8.ममता देवी (केसर) पत्नी श्री बाबू लाल शर्मा बागडा

2/9.तुलसी देवी पत्नी श्री बोदूराम शर्मा बागडा

3. भौरिया उर्फ भौरीलाल पुत्र प्रताप नारायण जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम श्रीकिशनुपरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

3/1. हनुमान पुत्र भौरिया उर्फ भौरीलाल

3/2. कैलाश पुत्र भौरिया उर्फ भौरीलाल

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

3/3. केसर देवी धर्मपत्नी श्री रामनारायण पुत्री भौरिया उर्फ भौरी लाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भानपुर कला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

3/4. गैंदी देवी धर्मपत्नी जगदीश पुत्री भौरिया उर्फ भौरी लाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम चक करोल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

3/5. अन्ना देवी धर्मपत्नी श्री सीताराम पुत्री भौरिया उर्फ भौरिया जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम चक करोल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

4. श्रीमती मन्नी देवी धर्मपत्नी रेखा उर्फ रामेश्वर जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. जगदीश

6. काना

पुत्रान ग्यारसा जाति कुम्हार

7. प्रताप ग्रांम श्रीकिशनुपरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

8. रामनारायण

9. तारा

10.मूल्या पुत्र महादेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (कायम मुकाम नहीं बनाने की छूट दी गई) (मृतक दौराने दावा)

11.कल्याण पुत्र महादेव

12.कैलाश पुत्र रोडू

13.रामू पुत्र नानगा

जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम श्री किशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

14.भैरू पुत्र बिरधा (मृतक दौराने दावा)

14/1.कान्तिचद्र

14/2.रमेश

पुत्रान भैरू जाति समस्त बागडा ब्राह्मण,

14/3. प्रकाश

14/4. लक्ष्मीनारायण

समस्त निवासीयान ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

14/5 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी रामनाथ पुत्री भैरू (मृतक दौराने दावा)

14/5/1. रामजीलाल (मृतक)

14/5/1/1. लालचन्द

14/5/1/2. जयराम

पुत्रान रामजी लाल (मृतक) निवासी भूवनेश्र वाटिका,लक्ष्मीविहार विहार, सी प्लाट नं॰ 4 मैन साठ फ़िट रोड ग्राम मीणा वाला, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।

14/5/2. हंसराज पुत्रान रामनाथ

14/5/3. बलराज

14/5/4. श्रीमती सीमा देवी धर्मपत्नी रमेश चन्द्र पुत्री रामनाथ समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर तहसील व जिला जयपुर ।

15. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 390/2019 ब उनवानी प्रभू दयाल बनाम प्रताप व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री विकास जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक 04.01.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) दक्षिण जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 390/2019 ब उनवानी प्रभू दयाल बनाम प्रताप व अन्य विचाराधीन है। प्रार्थीगण के वाद पत्र के साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रभू दयाल बनाम रेखा व अन्य भी विचाराधीन है। जिसमें तामील कायम मुकामान हेतु नियत है एवं मूल वाद मे प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश किया है। वादीगण के अधिवक्ता व वादी बाबूलाल जब मान्य न्यायालय में दिनांक 15.11.2021 को हाजिर हुए तो मान्य न्यायालय के रीडर ने बताया कि आपके मुकदमें में तामील कामय मुकामान नहीं हुई है, रजिस्टर्ड ए डी पेश करनी है तथा चैम्बर के अन्दर अधिवक्ता भगवान सहाय शर्मा जिन्होंने इस वाद पत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश कर रखा है, वह भी बैठे थे एवं उनके पक्षकार भी थे तब हमने अधिकारी महोदय से उक्त वाद बाबत पूछा तो उन्होंने कहा कि मैने इनका प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुन ली और आप भी आज बहस कर दीजिए अन्यथा आदेश पारित कर दूंगा तब प्रार्थीगण/वादीगण ने अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि पत्रावली कायम मुकामान की तामील में है तो कहा कि प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी की बहस आज ही करों अन्यथा मै आदेश कर दूंगा। तब प्रार्थीगण/वादीगण ने अधिकारी महोदय से काफी निवेदन किया तब जा कर उन्होंने कहा कि ठीक है, आगामी दिनांक 02.12.2021 को बहस प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी आवश्यक रूप से कर देना अन्यथा मै उसी दिन आदेश कर दूंगा। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों की पूर्ण तामील हुए बगैर ही प्रार्थीगण (प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10) की बहस सुनी। जबकि पत्रावली में तामील होना शेष है, जो कार्यवाही कानून व विधिक न्याय संगत नहीं है। प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकारी महोदय के आदेश एवं व्यवहार से वादीगण को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की सम्भावना बिलकुल भी नही है। ऐसा कथन अंकित उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 01 नियम 10 सीपीपी प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय

शर्मा ने उपस्थित होकर आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि सभी आरोप उसी पर लगाये गये है, किन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा असत्य व मनाघड़न्त आरोप लगाये गये है। प्रार्थी का आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर को पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित नहीं होने देने के उद्धेश्य से यह मुन्ताकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. नानगा व अन्य द्वारा इस न्यायालय में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और इनके द्वारा ही पेश किया गया आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बित है, अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मामले में ही पक्षकार बनाने बाबत निर्णय होगा। इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को शामिल मिसल किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किये जाने पर पाया गया है कि आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस हो चुकी है, किन्तु वादी की ओर से बहस हेतु अवसर चाहा जा रहा है। वादी जिसने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है वो ही अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 सीपीसी की बहस हेतु अवसर चाह रहा है, जिससे परिलक्षित होता है कि वादी प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इसलिए प्रार्थी के कथनों को बल नहीं मिलता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) दक्षिण जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुन कर मैरिट पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) दक्षिण जयपुर प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

4/1/22

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर